

मदनलाल फर्द अहकाम द्वारा  
बनाम

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या: 11/202

41वा

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25 $\frac{11}{28}$	<p>बकुलाय फरीकेंन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 16-12-28 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(P)</p>
	16.12.25	<p>बकुलाय फरीकेंन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 17-2-26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(B)</p>
	17/02/26	<p>पत्रावली पेश। वादी एवं अधिवक्ता श्री शेरत से कोई उपस्थित नहीं। आपालप समूह के दोस्त बार-बार बाराज लगाने के बाद भी वादी एवं अधिवक्ता श्री शेरत से कोई उपस्थित नहीं। अतः के उद्देश्य वादी एवं अधिवक्ता संख्या 01 व 02 का काउन्टर क्लेम अहम हाजरी एवं निदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के लिए सुमारे हॉरर दर्ज नंबर से कम है वादी दाविली इफ्तार है।</p> <p style="text-align: center;">L.</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>